

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/82/2014-1/268/2014

लखनऊ: दिनांक 7 अक्टूबर, 2014

विषय: राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-7/1621/33-3-2014-100(23)/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में आय-व्ययक में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2600.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0-125.292 लाख (रूपया एक करोड़ पचीस लाख उनतीस हजार दो सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है। योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराना आपका दायित्व होगा।

3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निहित शर्तों तथा निर्देशों का अनुपालन आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-05-राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के.75/रा. 25के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

- 8- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किशतों में किया जायेगा। प्रथम किशत 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किशत आहरित की जायेगी।
- 9- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 10- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-70 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/82/1/2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
 - 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 6- संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print ReportAllotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवटन दिनांक-17/10/2014

प्रेषण संख्या:-
आवटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-82-2014-1-268-2014
002-268-2014

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवटन)
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मत्तदेय)

101 - पंचायती राज
05 - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रणामी	वर्तमान प्रणामी	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेंतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रणामी	वर्तमान प्रणामी	12529200 101029200	12529200 101029200
	योग			12529200 101029200	12529200 101029200

महायोग- (वर्तमान आवटन):-
महायोग- (प्रणामी आवटन):-

रुपया एक करोड़ पच्चीस लाख उन्तीस हजार दो सौ
रुपया दस करोड़ दस लाख उन्तीस हजार दो सौ

(शहजद अहमद अंसारी)
मुख्य विल एव लेखाधिकारी